


कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2017 (संख्या-1 वर्ष 2018) में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-124/XXX-2-22-30(13)2017 दिनांक 08 अप्रैल 2022 के क्रम में वर्तमान स्थानान्तरण सत्र 2022-23 में कार्मिकों के अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु प्रत्येक संवर्ग यथा श्रेणी-1, श्रेणी-2, 'अधीनस्थ कृषि सेवा संवर्ग' (सहायक कृषि अधिकारी वर्ग-1, वर्ग-2 एवं वर्ग-3), लिपिक संवर्ग, कनिष्ठ/अपर सहायक अभियन्ता, मानचित्रक, अनुरेखक, लेखा संवर्ग, आशुलिपिक संवर्ग, सांख्यिकी संवर्ग तथा वाहन चालक संवर्ग के सुगम-दुर्गम कार्यस्थलों, स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिकों तथा उपलब्ध एवं संभावित रिक्तियों की सूची उत्तराखण्ड/विभागीय वेबसाईट में अपलोड की जा रही है। उपरोक्त संवर्गों के समस्त कार्मिक अपलोड की गई सूची में अपने से सम्बन्धित सुगम व दुर्गम कार्य-अवधि, पात्रता इत्यादि का परीक्षण कर लें। यदि किसी कार्मिक को सुगम व दुर्गम कार्य-अवधि, पात्रता के सम्बन्ध में कोई आपत्ति हो तो अपना प्रत्यावेदन यथोचित साक्ष्य सहित उचित माध्यम से निदेशालय को दिनांक 20.05.2022 तक उपलब्ध करायें।

सुगम से दुर्गम तथा दुर्गम से सुगम में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्र कार्मिक अपलोड की गई सूची में अंकित वास्तविक व संभावित रिक्तियों में से तैनाती/स्थानान्तरण हेतु वरीयताक्रम में इच्छित अधिकतम 10 विकल्प निदेशालय को दिनांक 25.05.2022 तक भेजना सुनिश्चित करें।

उक्त के अतिरिक्त अधिनियम में अनिवार्य स्थानान्तरण में वर्णित छूट की श्रेणी में आने वाले कार्मिक स्थानान्तरण में छूट के सम्बन्ध में नियमानुसार स्वयं का प्रार्थना-पत्र, सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण-पत्र/साक्ष्य उचित माध्यम से उपलब्ध करायें ताकि तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।



कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक:-कृ0नि0/970 /स्था0/वार्षिक स्थाना0अधि0/2022-23/दिनांक 13-05-2022

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-


1. समस्त कार्मिक, कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड।
2. समस्त कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी, उत्तराखण्ड के माध्यम से समस्त कार्मिक।
3. सहायक निदेशक, सम्भागीय कृषि प्रदर्शन एवं परीक्षण केन्द्र, निदेशालय परिसर, देहरादून के माध्यम से समस्त कार्मिक।
4. केन्द्राध्यक्ष राजकीय भूमि संरक्षण परीक्षण केन्द्र पौड़ी के माध्यम से समस्त कार्मिक।
5. सहायक निदेशक, क्षेत्रीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, श्रीनगर गढ़वाल/रूद्रपुर (उधमसिंहनगर) के माध्यम से समस्त कार्मिक।
6. समस्त मुख्य कृषि अधिकारी, उत्तराखण्ड के माध्यम से समस्त कार्मिक।
7. संयुक्त कृषि निदेशक, कुमाँऊ मण्डल, हल्द्वानी के माध्यम से समस्त कार्मिक।
8. अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी के माध्यम से समस्त कार्मिक।
9. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, देहरादून के माध्यम से समस्त कार्मिक।
10. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।


कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड

पत्रांक:-कृ0नि0/

/स्था0/वार्षिक स्थाना0अधि0/2022-23/दिनांक

प्रतिलिपि:-सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ प्रेषित।


कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड